यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा के माह 03/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 30/11/201 8से 07/12/2018 तक श्री वी0पी0 सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक तथा श्री नंदन सिंह लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.03.2017 से 24.03.2017 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**विकास खण्ड पुरोला धौलादेवी, लमगडा, ताकुला, भैसियाछाना एवं हवालबाग के अंतर्गत सिंचाई नहर निर्माण/रखरखाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	337.28	337.28	665.64	665.4	-	-
2016-17	-	-	318.60	318.60	263.19	263.50	-	-
2017-18	-	-	332.59	332.59	147.21	116.77	-	30.44
2018-19 (up to 11/18)	-	-	210.93	210.93	302.87	3.36		

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	CSSR	-	151.20	151.20		
2016-17	CSSR	-	95.55	95.55		
2017-18	CSSR	-	103.01	77.02		25.99
2018-19 ( )	-	-	-	-	-	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'बी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

––मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा (स्तर–2),

–– अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा,

––अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विकास खण्डहवालबाग में एस0पी0ए0 मद के अन्तर्गत कोसी बैराज का निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक ..... शून्य ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2013 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम ₹ 871922.32

भाग द्वितीय ₹ 228560.14

5. खण्ड के उचन्तलेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 924963.00

(ख) सामग्री क्रय ———

(ग) नगद परिशोधन ———

(घ) निक्षेप ₹ 51093410.00

(ङ) भण्डार ₹ (-) 1507897.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर: 1- `24.27 लाख की प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit) की प्रत्याहरण (Refund) न किए जाने के संबंध मे।

खंड के अभिलेखों एवं रोकड़ बही के अनुसार सितंबर 2014 से पूर्व ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराशि कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह सितंबर 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराशि भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की मासिक लेखा अगस्त 2014 की जांच मे पाया गया हैं कि Form-79-Schedule of Deposit(Part-I) के अनुसार `2426883.00 (चौबीस लाख छबीस हजार आठ सौ तिरासी रूपये मात्र) ठेकेदारो के प्रतिभूति धनराशि का भुगतान किया जाना शेष हैंजो पिछले करीब 14 वर्षो से हैं। मासिक लेखा नवंबर 2018 के अनुसार `**1503925.00** (पंद्रह लाख तीन हजार नौ सौ पच्चीस रुपये मात्र) अवशेष हैं। इस प्रकार सितंबर 2014 से नवंबर 2018 तक `9,22,958.00 (नौ लाख बाईस हजार नौ सौ अठावन रुपये मात्र) का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त खंड की निक्षेप पंजिका की जांच मे देखा गया कि मार्च 2016 से पंजिका का अद्यतन नही किया गया हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों से पत्राचार कर समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। `9,22,958.00का भुगतना कार्यों की बचत से किया गया एवं निक्षेप पंजिका के अद्यतन की कार्यवाही की जा रही हैं।

अत: खंड द्वारा सितंबर 2014 से पूर्व के `24.27 लाख का प्रतिभूति धनराशि(Security Deposit) की प्रत्याहरण(Refund) नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः 2 –आगणन में प्राविधानित कार्य मद विद्युत उत्पादन हेतु पावर हाउस की स्थापना कार्य नही करने से योजना के उद्देश्य अपूर्ण रहना।

विशेष योजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा मे कोसी नदी पर बैराज का निर्माण योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 22(1)/।।–2013–04(05)/2012 टी0सी0 दिनांक 11 मार्च 2013 द्वारा लागत रू0 3358.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (कु0), सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी मण्डल, द्वारा पत्रांक संख्या : 1506/सीईके/पी–7/कोसी बैराज/ दिनांकः 04 जून 2013 के माध्यम से धनराशि रू0 3358.98 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूनाजांच (माह 12/2018) में पाया गया कि उक्त विशेष योजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा मे कोसी नदी पर बैराज का निर्माण कार्य को टुकड़ों में बाटतें हुए (Spliting of work) कुल 30 अनुबन्ध गठित किये गये जिसमें से 01 अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता स्तर, 01 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता स्तर तथा 28 अनुबन्ध सहायक अभियन्ता स्तर के थे। कार्य के स्वीकृत आगणन में बैराज के निर्माण से उपलब्ध हैड से बैराज के अक्ष के लगभग 01 किमी डाउन स्ट्रीम में विद्युत उत्पादन का आकलन किया गया था, इससे लगभग 1/2 मेगावाट क्षमता का पावर हाउस स्थापित किया जाना था जिससे वर्ष भर 1780 मिलियन वाट हार्स पावर उत्पादन की सम्भावना थी। उक्त के लिये आगणन में Cost of Micro-hydro project of 0.5 MW as per design and technical specification complete कार्य मद हेतु कुल रू0 40000000/– का प्राविधान किया गया था, परन्तु अभिलेखो के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य मद का निष्पादन लेखापरीक्षा तिथि

तक नही कराया गया था, जिससे न केवल प्रतिवर्ष 1780 मिलियन वाट हार्स पावर विद्युत उत्पादन के लाभ से वंचित था वल्कि उक्त कार्य योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि विद्युत उत्पादन हेतु पावर हाउस निर्माण हेतु अलग प्रकृति का कार्य होने के कारण इसके निर्माण हेतु निविदाए आमंत्रित की गई थी परन्तु अधिक दर एवं उपयुक्त नही होने के कारण अनुबंध गठित नही हो पाया साथ ही कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन बनाकर कोसी बैराज के पुनरीक्षित प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया गया है । खण्ड के उत्तर से स्वय लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि आगणन में प्राविधानित कार्य मद Micro-hydro project of 0.5 MW as per design and technical specification complete का निष्पादन नही कराया गया था जोकि उक्त योजना के विद्युत उत्पादन की मुख्य मद थी।

अतः आगणन में प्राविधानित कार्य मद विद्युत उत्पादन हेतु पावर हाउस की स्थापना कार्य नही करने से योजना उद्देश्य अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- `27.23 लाख की देनदारीयों सृजन किए जाने के संबंध मे।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ाके लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं किअधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा द्वारा 09/2018 तक लेखा शीर्ष 2702 सामान्य अनुरक्षण मद मे कुल `27.23 लाख की सृजित देनदारियाँ हैं।

इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि नहरों के संचालन एवं रखरखाव हेतु धनावंटन कम होने के कारण देनदारियों सृजन की गई। तथा इस संबंध मे उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि धनावंटन से अधिक का व्यय नियमो के विरुद्ध हैं।

अत: खंड द्वारा `27.23 लाख की देनदारियां सृजित किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:2- ` 9.25 लाख प्रकीर्ण अग्रिम का वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड के प्रकीर्ण अग्रिम मद में **मार्च 2017 तक ` 9.25** लाख विभाग, कर्मचारी, फर्मो तथा ठेकेदारो के विरूध्द दिये गये अग्रिमों की वसूली समायोजन/खण्ड द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रकीर्ण अग्रिम रजिस्टर में दर्शाया गया था।

स0	**अग्रिम प्रकीर्ण**	**धनराशि**	**अंतिम प्रकीर्ण कब से**
1	विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध	96692.00	01/1973
2	सरकारी विभागों के विरुद्ध	571381.00	01/1973
3	ठेकेदारों/फ़र्मों के विरुद्ध	256890.00	12/1970
	योग	**924963.00**	

आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा इन `9.24 लाख अग्रिमों जिसमे `0.62 लाख श्री एस0के0पाण्डेय, सहायक अभियंता, Ex.Eng I.C.D Ranikhet on a/c of cost of cement & G.I. wire से`3.66 लाख एवं UP State Govt. CO.Haldwani advance payment of cement bags से `1.14लाख की वसूली हेतु विभाग के उच्चाधिकारियों या शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु कोई पत्राचार न तो पूर्व में किया गया और नही वर्तमान में किया गया था। अर्थात कई वर्षों के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं किया जाना खण्ड की शिथिलता का द्योतक है।

उक्त के अतिरिक्त पंजिका की जांच मे देखा गया हैं कि यह मार्च 2017 से अद्यतन नही की गयी हैं। पंजिका के अद्यतन न होने के कारण समायोजन/वसूली का सही आकणन नही पता चल पा रहा हैं।

इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा एवं अग्रिम प्रकीर्ण पंजिका के अद्यतन की कार्यवाही की जाएगी। खंड का उत्तर स्वम: ही लेखा परीक्षा के आपतियों की पुष्टि करता हैं।

अत: कई वर्षों से ` 9.25 लाख प्रकीर्ण अग्रिम का वसूली/समायोजन का लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग– ।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्य	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	53/2004-05	--	1	
2.	96/2005-06	1	1, 2	
3.	10/2007-08	1	1, 2	
4.	19/2008-09	--	1	
5.	09/2011-12	--	1, 2, 3, 4	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(1)	श्री नवीन सिंघल	अधिशासी अभियन्ता	(विगत लेखापरीक्षा से 24.06.2017 तक)
(2)	श्री अभिषेक राजपूत	अधिशासी अभियन्ता	(24.06.2017 से 24.07.2017 तक)
(3)	श्री वी0वी0 पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	(24.07.2017 से 12.09.2017 तक)
(4)	श्री विनोद कुमार	अधिशासी अभियन्ता	(12.09.2017 से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अबतक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री वीरेन्द्र कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति

के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र–।।